

क्रमांक : प.1(2)वित्त/साविलेनि/2005 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक : 20/11/2020

आदेश


विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-I में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-I में निम्न प्रकार संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

The existing entry appearing at S.No. 402 in Appendix-8 of said rules shall be substituted as under:-


"402. Commissioner, Medical Education, Rajasthan, Jaipur."

आज्ञा से,


(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट) राजस्थान, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
10. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. तकनीकी निदेशक (computer cell), वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
15. रक्षित पत्रावली।


(गौरी सिंह)
मुख्य लेखाधिकारी

(GF&AR - 14 /2020)